रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062025-263596
CG-DL-E-04062025-263596

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12 1947
No. 407] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2025

फा. सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडबल्यूआर.—राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 38 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 54 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की सिफारिशों पर, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध विनियम, 2025 के व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल है

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं -** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है

(2) उन शब्दो और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ का स्वतंत्र पैनल — विनिर्दिष्ट बांध और उसके जलाशय की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ का स्वतंत्र पैनल की संरचना निम्नानुसार है: —

(1) विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल में प्रमुख विशेषज्ञ जैसे अध्यक्ष और सदस्य सम्मिलित होंगे।

(2) पैनल में प्रमुख विशेषज्ञों की संख्या बांध सहयुक्त पहचाने गए या ज्ञात बांध सुरक्षा वाद-विषय और परिसंकट के आधार पर पहचान की जाएगी, तथापि किसी दशा में विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल में तीन से कम प्रमुख विशेषज्ञ नहीं होंगे, जिसमें बांध सुरक्षा विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा पैनल के विशेषज्ञों के लिए अपेक्षित अर्हताएं और कौशलों के ब्यौरे सारणी – 1 में निर्दिष्ट है।

(3) स्वतंत्र पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों में केंद्रीय सरकार संगठनों, राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ख्यातिप्राप्त प्राइवेट संस्थाओ, ख्यातिप्राप्त स्वतंत्र विशेषज्ञों के कार्यरत के साथ सेवानिवृत्त अधिकारी सम्मिलित हो सकेंगे।

(4) विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के अध्यक्ष और सदस्य हितों के टकराव जिसके अंतर्गत वित्तीय, व्यावसायिक या व्यक्तिगत संबंध भी है से मुक्त होंगे, जो उनके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पैनल के सदस्यों का उनके कार्य से प्रभावित इकाइयों या हितों के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध न हो।

(5) अंतरराज्यीय विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध स्वामी, जिनके लिए प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन है, विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल गठित करेगा और अंतरराज्यीय विनिर्दिष्ट बांधों की दशा में, जिनके लिए प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन है, संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन का प्रमुख पैनल गठित करेगा।

(6) विशेषज्ञों को उनकी अर्हताएं और विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में अनुभव तथा उनके व्यवसाय में प्रतिष्ठा के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि सारणी- 1 में दिया गया है।

सारणी-1

क्रम संख्या	विशेषज्ञ	न्यूनतम अर्हता	अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बांध सुरक्षा विशेषज्ञ	सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या समतुल्य डिग्री, अधिमानतः भू-तकनीकी इंजीनियरिंग या भूवैज्ञानिकी इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या जल संसाधन इंजीनियरिंग या जल विज्ञान या भूविज्ञान या इंजीनियरिंग भूविज्ञान में मास्टर डिग्री	• कम से कम पांच बड़ी बांध परियोजनाओं के बांध सुरक्षा से संबंधित वाद-विषयों को संभालने का अनुभव यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की आपदाओं (विशेष रूप से बांध आपदाओं से संबंधित) से निपटने वाली टीम का सदस्य रहा हो तो उसे अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। • बांधों के डिजाइन, संनिर्माण, सुरक्षा मूल्यांकन या प्रचालन में कम से कम दस वर्ष का संबंधित अनुभव होना चाहिए। पुराने बांध संरचनाओं के पुनर्वास के अनुभव को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। • बांधों के निरीक्षण, इंस्ट्रूमेंटेशन, आपातकालीन कार्रवाई योजना आदि का व्यावसायिक अनुभव।
2.	डिज़ाइन विशेषज्ञ	सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या समतुल्य डिग्री, अधिमानतः	• कम से कम पांच बड़ी बांध परियोजनाओं की योजना तैयार करने और डिजाइन बनाने का अनुभव।

क्रम संख्या	विशेषज्ञ	न्यूनतम अर्हता	अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)
		संरचनात्मक इंजीनियरिंग या जलीय इंजीनियरिंग या जल संसाधन विकास में मास्टर डिग्री	• बड़ी बांध परियोजनाओं की योजना और डिजाइन में कम से कम दस वर्ष का संबंधित अनुभव होना। • पुराने बांध संरचनाओं के पुनर्वास के अनुभव को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी।
3.	संनिर्माण पर्यवेक्षण विशेषज्ञ	सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या समतुल्य, अधिमानतः संरचनात्मक इंजीनियरिंग या जलीय इंजीनियरिंग या जल संसाधन विकास में मास्टर डिग्री	• न्यूनतम तीन विनिर्दिष्ट बांधों के निर्माण, कार्य पर्यवेक्षण और क्वालिटी आश्वासन का अनुभव। पुराने बांध ढांचों के पुनर्वास के अनुभव को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। • बांध परियोजनाओं के संनिर्माण में कम से कम दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।
4.	भूवैज्ञानिक	भूविज्ञान या इंजीनियरिंग भूविज्ञान में मास्टर डिग्री	• न्यूनतम पांच बड़े बांध परियोजनाओं के विभिन्न भूवैज्ञानिक पहलुओं को संभालने का अनुभव। • जल संसाधन परियोजनाओं के भूवैज्ञानिक इंजीनियरिंग पहलुओं से निपटने में कम से कम दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव
5.	जल-वैज्ञानिक	सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या समतुल्य, अधिमानत: जल विज्ञान या जलीय इंजीनियरिंग या जल संसाधन विकास में मास्टर डिग्री	• प्रमुख बांध परियोजनाओं की जल विज्ञान संबंधी योजना बनाने में अनुभव, विशेष रूप से कम से कम दस बड़े बांध परियोजनाओं के बाढ़ आकलन, बाढ़ डिजाइन की समीक्षा, तूफान अंतर्गामी डिजाइन, अवसादन पहलुओं आदि में अनुभव। • विभिन्न सुसंगत जल विज्ञान प्रतिरूपण उपकरणों, बांध टूटने का प्रतिरूपण, जलप्लावन मानचित्रण, आपातकालीन कार्रवाई योजना के विकास और इसके कार्यान्वयन आदि के लिए किए गए कार्य का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ के लिए अतिरिक्त वरीयता। • जल संसाधन परियोजनाओं के जल विज्ञान संबंधी पहलुओं से निपटने में कम से कम दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव
6.	जल-यांत्रिक विशेषज्ञ	सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या समतुल्य	• स्पिलवे द्वार, अंडर-स्लूस द्वार, आपातकालीन द्वार, जल-यांत्रिक कार्यों के निर्माण के पुनर्वास में अनुभव को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। • पैनल में सम्मिलित होने से पहले पिछले दस वर्ष के दौरान सुसंगत अनुभव का प्रदर्शन

क्रम संख्या	विशेषज्ञ	न्यूनतम अर्हता	अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)
			• बड़े बांध परियोजनाओं के जल-यांत्रिक कार्यों के डिजाइन और विशेष रूप से विस्तृत इंजीनियरिंग परियोजनाओं और पुनर्वास जल-यांत्रिक कार्यों में कम से कम दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।
7.	साधन- विनियोग विशेषज्ञ	बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या सिविल इंजीनियरिंग या साधन विनियोग इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग या समतुल्य या भौतिकी में मास्टर डिग्री	• न्यूनतम तीन बड़ी बांध परियोजनाओं के लिए सभी प्रकार के बांध उपकरणों की योजना और स्थापना का अनुभव। • पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने से पहले पिछले दस वर्ष के दौरान सुसंगत अनुभव का प्रदर्शन करें। पुराने बांध संरचनाओं के पुनर्निर्माण के अनुभव को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। • बांध परियोजनाओं के डिजाइन में कम से कम दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।
8.	भूकंप विशेषज्ञ	सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या समतुल्य, अधिमानतः भूकंप इंजीनियरिंग या संरचनात्मक इंजीनियरिंग या भौतिकी में मास्टर डिग्री।	• भूकंपीय भार को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पांच बड़ी बांध परियोजनाओं की योजना और डिजाइन में अनुभव, सामयिक इतिहास श्रृंखला के साथ-साथ भूकंपीय स्पेक्ट्रा का अनुभव एक अतिरिक्त लाभ होगा और स्थल विनिर्दिष्ट भूकंपीय डिजाइन मापदंडों के लिए किए गए कार्य को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। • पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने से पहले पिछले दस वर्ष के दौरान सुसंगत अनुभव का प्रदर्शन करें। पुराने बांध संरचनाओं के पुनर्वास के अनुभव को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। • बांध परियोजनाओं के डिजाइन में कम से कम दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

अनिल जैन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./141/2025-26]

NATIONAL DAM SAFETY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2025

F. No.TE-32/2/2023-NDSA-MOWR.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (t) of sub-section (2) of section 54 read with sub-section (1) of section 38 of the Dam Safety Act, 2021 (41 of 2021), the National Dam Safety Authority, on the recommendations of the National Committee on Dam Safety, hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Independent Panel of Experts for Comprehensive Dam Safety Evaluation of each specified dam Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Dam Safety Act, 2021(41 of 2021);

(b) "Authority" means the National Dam Safety Authority established under section 8 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively, assigned to them in the Act.

3. Independent panel of expert for comprehensive dam safety evaluation of each specified dam.—The composition of Independent Panel of expert for the purpose of determining the condition of the specified dam and its reservoir are as follows: —

(1) The independent panel of experts shall consist of key experts- such as Chairperson and Members.

(2) The number of key experts in the panel shall be identified based on the identified or known dam safety issues and hazards associated with the dam, however in no case independent panel of experts shall consist of less than three key experts with mandatory presence of dam safety expert and the details of qualifications and skillsets required for the experts of the panel are elucidated in Table 1.

(3) The Chairperson and Members of independent panel of experts may comprise of working as well as retired officials from the Central Government Organisations, State Governments, Public Sector Undertakings, Indian Institute of Technology/National Institute of Technology, reputed private institutions, reputed freelance experts.

(4) The Chairperson and Members of independent panel of experts shall be free from conflicts of interest, including financial, professional, or personal ties that could bias their judgment and it shall be ensured that the panel members do not have any direct involvement with the entities or interests affected by their work.

(5) Each specified dam owners other than interstate specified dams for which Authority is the State Dam Safety Organisation, shall constitute an independent panel of experts and in case of the interstate specified dams for which Authority is the State Dam Safety Organisation, the head of the concerned State Dam Safety Organisation shall constitute the panel.

(6) The experts shall be classified on the basis of their qualifications and experience in the respective field of specialisation and the eminence in their profession as given in Table-1.

TABLE-1

Serial Number	**Experts**	**Minimum qualification**	**Experience**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dam Safety Expert	Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or equivalent degree in Civil Engineering Preferably Master Degree in Geotechnical Engineering or Geological Engineering Or Water Resources Engineering or Hydrology or Master degree in Geology or Engineering Geology	• Experience in handling dam safety related issues of minimum of five number of large dam projects • Additional weightage in case candidate had been a member of team that handled disasters of any type (especially related to dam disasters) at national and international level. • Having at least ten years of related experience in design, construction, safety evaluation, or operation of dams. Experience of rehabilitation of old dam structures would get additional weightage. • Professional experience of inspection of dams, instrumentation, emergency action planning etc.

Serial Number	**Experts**	**Minimum qualification**	**Experience**
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Design Expert	Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or equivalent degree in Civil Engineering Preferably Master Degree in Structural Engineering or Hydraulic Engineering or Water Resources Development	• Experience in planning and designs for minimum of five large dam projects. • Having at least ten years of related experience in planning and design of large dam projects. • Experience of rehabilitation of old dam structures would get additional weightage.
3.	Construction Supervision Expert	Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or equivalent in Civil Engineering Preferably Master Degree in Structural Engineering or Hydraulic Engineering or Water Resources Development	• Experience of Construction, Work Supervision and Quality Assurance for a minimum of three specified dams. • Experience of rehabilitation of old dam structures would get additional weightage. • Professional experience of at least ten years in construction of dam projects.
4.	Geologist	Master Degree in Geology or Engineering Geology	• Experience of handling various geological aspects of minimum of five large dam projects. • Professional experience of at least ten years in dealing with engineering geological aspects of water resources projects
5.	Hydrologist	Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or equivalent in Civil Engineering Preferably Master Degree in Hydrology or Hydraulic Engineering or Water Resources Development	• Experience in dealing with hydrological planning of major dam projects especially design flood estimation, review of design flood, design storm inputs, sedimentation aspects etc. of at least ten large dam projects. • Additional weightage for an expert having exposure to various relevant hydrological modelling tools, work done for dam break modelling, inundation mapping, development of emergency action plan and its implementation etc. • Professional experience of at least ten years in dealing with hydrological aspects of water resources projects
6.	Hydro- Mechanical Expert	Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology. or equivalent in Civil Engineering or Mechanical Engineering	• Experience in rehabilitation of spillway gates, under-sluice gates, emergency gates, erection of Hydro- Mechanical works shall get additional weightage. • Demonstrate relevant experience during the last ten years prior to empanelment • Professional experience of at least ten years in designs of Hydro- Mechanical

Serial Number	**Experts**	**Minimum qualification**	**Experience**
(1)	(2)	(3)	(4)
			Works of large dam projects and especially works done at detail engineering projects and rehabilitation Hydro- Mechanical works done.
7.	Instrumentation Expert	Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology. or equivalent in Civil Engineering or Instrumentation Engineering or Electronics Engineering or Master Degree in Physics	• Experience in planning and installation of all kinds of dam instruments for a minimum of three large dam projects. • Demonstrate relevant experience during the last ten years prior to applying for empanelment. Experience of reinstrumentation of old dam structures shall get additional weightage. • Professional experience of at least ten years in design of dam projects.
8.	Seismic Expert	Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or equivalent in Civil Engineering Preferably Master Degree in Earthquake Engineering or Structural Engineering or Physics.	• Experience in planning and designs for minimum of five large dam projects accounting for seismic loadings, having the exposure of time history series as well as seismic spectra will be an additional advantage and also work done for site specific seismic design parameters shall be given additional weightage • Demonstrate relevant experience during the last ten years prior to applying for empanelment. Experience of rehabilitation of old dam structures would get additional weightage. • Professional experience of at least ten years in design of dam projects.

ANIL JAIN, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./141/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.04 15:57:59 +05'30'